न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर जिला अजमेर

रसद प्रकरण संख्या 7/97

राजस्थान सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी केकडी। .....प्रार्थी

बनाम

1. श्री नन्दपुरी गोस्वामी उचित मूल्य दुकानदार जडाना अटैच सातोलाव तहसील सरवाड जिला--अजमेर,

....अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थित ;... 1. श्री नीरज जैन प्रर्वतन अधिकारी पैरोकार सरकार

आदेश दिनांक– 12.12.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी के विरूद्ध प्राप्त शिकायत पर दिनांक 20.12.1996 को तहसीलदार सरवाड व प्रवर्तन अधिकारी केकडी द्वारा अप्रार्थी की दुकान की जांच अप्रार्थी नन्दपुरी की उपस्थिति में की गई। दौराने जांच सामने आया कि अप्रार्थी द्वारा दिनांक 10.12.96 को नसीराबाद को–ऑपरेटिव मार्केट सोसायटी लि0 नसीराबाद से 96.73 क्वि0 लेवी गैहूँ उठाया था, जिसमें से जांच दौरान 43 बोरी गैहूँ (40 क्वि0 45 किलोग्राम) उसके अवैध गोदाम, मालियों की धर्मशाला दुकान नं0 03 खीरिया गेट, सरवाड में पाया गया जो अनाधिकृत रूप से भण्डारित किया गया था। उक्त अवैध रूप से भण्डारित लेवी गैहूँ को मौके पर ही जब्त कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत राजसात करने के आदेश हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ। जिस पर उभय पक्ष को सुना जाकर जब्तशुदा गेहूँ 43 बोरी (40 क्वि0 45 किलोग्राम) को राजसात किये जाने का आदेश पारित किया गया। अप्रार्थी द्वारा उक्त आदेश दिनांक 21.3.1997 के विरूद्ध न्यायालय सेशन न्यायाधीश, अजमेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। जो आदेश दिनांक 21.2.2002 से स्वीकार की जाकर न्यायालय हाजा (जिला कलक्टर, अजमेर) का आक्षेपित आदेश दिनांक 21.3.97 अपास्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के प्रतिप्रेषित किया कि वे दोनों पक्षों को समुचित साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान करते हुए मामले का निस्तारण करेंगें।

माननीय सैशन न्यायाधीश के उक्त आदेश की पालना में प्रकरण पुनः नम्बर पर लिया जाकर उभय पक्ष को साक्ष्य हेतु समुचित अवसर प्रदान किया गया। प्रार्थी साक्ष्य भँवरलाल पुत्र श्री रामकरण चौधरी जाति जाट निवासी ग्राम पोस्ट कासेल तहसील फागी सेवा निवृत प्रवर्तन अधिकारी, तथा श्री कुन्दनकुमार माथुर पुत्र श्री रामेश्वरलाल माथुर तत्कालीन तहसीलदार सरवाड के बयान तथा अभिभाषक अप्रार्थी की जिरह पूर्ण करवाई गई। अप्रार्थी साक्ष्य हेतु उनके द्वारा प्रार्थना में नामित तीन गवाह क्रमशः लादूराम गुर्जर पुत्र गोपाल निवासी ग्राम जोरावरपुरा तहसील सरवाड, हनुमानसिंह पुत्र नंदसिंह निवासी ग्राम जडाना तहसील सरवाड एवं नौरतमल

जिला कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner

तत्कालीन वार्ड मेम्बर ग्राम जडाना तहसील सरवाड को साक्ष्य हेतु तलब करने हेतु नोटिस जारी किये गये, जो बाद तामिली साक्ष्य हेतु उपस्थित नहीं आये। अप्रार्थी को अपनी साक्ष्य पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान करने उपरान्त पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। तत्पश्चात अभिभाषक अप्रार्थी को उपस्थित होकर बहस करने हेतु दिनांक 29.8.2019 दिनांक 26.9.2019 को न्यायहित में अवसर प्रदान किये गये। दिनांक 28.11.2019 को भी अभिभाषक अप्रार्थी, अप्रार्थी उपस्थित नहीं आये। उपस्थित पैराकार सरकार द्वारा सुनवाई चाही गई। हमने रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया, चूकि प्रकरण अत्यधिक पुराना है एवं काफी समय से लम्बित होने के मध्यनजर उपस्थित पैरोकार सरकार को सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कथन किया कि अप्रार्थी के विरूद्ध प्राप्त शिकायत पर दिनांक 20.12.1996 को तहसीलदार सरवाड व प्रवर्तन अधिकारी केकडी द्वारा अप्रार्थी की दुकान की जांच में प्रकट आया कि अप्रार्थी द्वारा दिनांक 10.12.96 को नसीराबाद को–ऑपरेटिव मार्केट सोसायटी लि0 नसीराबाद से 96.73 क्वि0 लेवी गैहूँ उठाया, जिसमें से जांच दौरान 43 बोरी गैहूँ (40 क्वि0 45 किलोग्राम) अप्रार्थी द्वारा उसके अवैध गोदाम, मालियों की धर्मशाला दुकान नं0 03 खीरिया गेट, सरवाड में भण्डारित पाया गया, जो कि अनाधिकृत था। उक्त अवैध रूप से भण्डारित लेवी गैहूँ को मौके पर ही जब्त कर जब्तशुदा गेहूँ 40 क्वि0 45 किलोग्राम को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत राजसात करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर बाद सुनवाई जब्तशुदा गेहूँ 40 क्वि0 45 किलोग्राम को राजसात किये जाने का आदेश न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 21.3.97 को पारित किया गया। अप्रार्थी द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध न्यायालय सेशन न्यायाधीश, अजमेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। जो आदेश दिनांक 21.2.2002 से स्वीकार की जाकर न्यायालय हाजा का आक्षेपित आदेश दिनांक 21.3.97 अपास्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के प्रतिप्रेषित किया कि वे दोनों पक्षों को समुचित साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान करते हुए मामले का निस्तारण करेंगें। माननीय सैशन न्यायालय के उक्त आदेश की पालना में अप्रार्थी को साक्ष्य हेतु समुचित अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद उनके द्वारा जरिये साक्ष्य प्रार्थना पत्र कथनो का खण्डन नहीं किया गया। अभिभाषक अप्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी साक्ष्य तत्कालीन प्रवर्तन अधिकारी, तथा तत्कालीन तहसीलदार सरवाड के दर्ज बयान जिरह से भी अप्रार्थी द्वारा अनाधिकृत गोदाम में लेवी गैहूँ भण्डारित किया जाना सिद्ध है। अतः जब्तशुदा गेहूँ 40 क्वि0 45 किलोग्राम को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत राजसात करने के आदेश प्रदान करावें।

हमने पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया, रिकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी के विरूद्ध प्राप्त शिकायत पर दिनांक 20.12.1996 को तहसीलदार सरवाड व प्रवर्तन अधिकारी केकडी द्वारा अप्रार्थी की दुकान की जांच पर 40 क्वि0 45 किलोग्राम गैहूँ (43 बोरी) अन्यत्र मालियों की धर्मशाला दुकान नं0 03 खीरिया गेट सरवाड स्थित गोदाम में भण्डारित पाया गया। अप्रार्थी द्वारा उक्त गोदाम बाबत सक्षम स्वीकृति होने के दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये गये। माननीय सैशन न्यायाधीश के आदेशानुसार उभय पक्ष को साक्ष्य हेतु समुचित अवसर दिये जाने के बावजूद अप्रार्थी जरिये साक्ष्य/दस्तावेज यह साबित नहीं कर पाये कि मालियों की धर्मशाला दुकान नं0 03 खीरिया गेट सरवाड स्थित गोदाम में उक्त जब्त लेवी गैहूँ किस आधार पर भण्डारित किये गये। जबकि प्रार्थी

जिला कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner

साक्ष्य, तत्कालीन तहसीलदार सरवाड एवं प्रवर्तन अधिकारी सरवाड के बयान/जिरह से प्रार्थना पत्र तथ्यों की पुष्टि होती है। अप्राथी0 द्वारा बरती गई अनियमितता राजस्थान खाधान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त सं0 1 का स्पष्टतया उल्ल्घंन है। अतः प्रार्थी का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जब्त शुदा नियंत्रित मूल्य का गैहूँ 40 क्वि0 45 किलो (43 बोरी) को अवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत राजसात किया जाता हैं। जिला रसद अधिकारी, अजमेर उक्त गैहूँ का नियमानुसार निस्तारण कर प्राप्त रशि राज्य कोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 12.12..2019 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner